विधि कार्य विभाग की वेबसाइट का अद्यतनीकरण। इस संबंध में यह उल्लेख है कि कार्यान्वयन प्रकोष्ठ के संबंध में अद्यतन सूचना/इनपुट निम्नानुसार हैं:-

1. संविधियों का प्रशासन: यह प्रकोष्ठ निम्नलिखित अधिनियमों के प्रशासन से संबंधित है: -

(i) अधिवक्ता अधिनियम, 1961
(ii) अधिवक्ता कल्याण कोष अधिनियम, 2001

(i) अधिवक्ता अधिनियम, 1961: कानूनी पेशेवरों से संबंधित कानून में संशोधन और समेकित करने, कानूनी पेशेवरों से संबंधित कानून को समेकित करने और अखिल भारतीय बार काउंसिल के गठन के लिए, संसद ने अधिवक्ता अधिनियम, 1961 अधिनियमित किया था। अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 4 के तहत भारतीय बार काउंसिल की स्थापना की गई है। यह भारत में कानूनी पेशे और कानूनी शिक्षा को नियंत्रित करती है। इसके सदस्य भारत में वकीलों में से चुने जाते हैं और इस तरह भारतीय बार का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह पेशेवर आचरण, शिष्टाचार के मानकों को निर्धारित करती है और अधिवक्ताओं पर अनुशासनात्मक अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करती है। यह विधि शिक्षा के लिए मानक भी निर्धारित करती है और उन विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करती है, जिनकी विधि की डिग्री स्नातक स्तर पर अधिवक्ता के रूप में खुद को नामांकित करने के लिए छात्रों के लिए योग्यता के रूप में काम करेगी। अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के विभिन्न प्रावधानों के तहत भारतीय बार काउंसिल द्वारा बनाये गये नियम भारतीय बार काउंसिल की आधिकारिक वेबसाइट यानी www.barcouncilofindia.org पर उपलब्ध हैं।

(ii) अधिवक्ता कल्याण कोष अधिनियम, 2001: कनिष्ठ वकीलों को वित्तीय सहायता के रूप में सामाजिक सुरक्षा और गरीब या विकलांग अधिवक्ताओं के लिए कल्याणकारी योजनाएं हमेशा कानूनी बिरादरी के लिए चिंता का विषय रही हैं। कुछ राज्यों ने इस विषय पर अपना कानून बनाया। संसद ने "एडवोकेट्स वेलफेयर फंड एक्ट, 2001" को केंद्र शासित प्रदेशों और उन राज्यों पर लागू किया, जिनके पास अपने स्वयं के अधिनियम नहीं हैं, जिससे वे "एडवोकेट्स वेलफेयर फंड" बना सकें। यह अधिनियम प्रत्येक अधिवक्ता के लिए किसी भी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण में दायर प्रत्येक वकालतनामा पर अपेक्षित मूल्य के टिकटों को चिपकाना अनिवार्य बनाता है। "एडवोकेट्स वेलफेयर फंड स्टाम्प्स" की बिक्री के माध्यम से एकत्र की गई राशि कोष का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। कोई भी प्रैक्टिस करने वाला अधिवक्ता आवेदन शुल्क और वार्षिक सदस्यता के भुगतान पर कोष का सदस्य बन सकता है। निधि उपयुक्त सरकार द्वारा स्थापित न्यासी समिति द्वारा धारण, निहित होगी और उसी के द्वारा लागू की जाएगी। निधि का उपयोग, अन्य बातों के

साथ-साथ, किसी गंभीर स्वास्थ्य समस्या के मामले में निधि के सदस्य को अनुग्रह अनुदान देने के लिए, प्रैक्टिस बंद होने पर एक निश्चित राशि का भुगतान करने और किसी सदस्य की मृत्यु के मामले में, उसके नामित व्यक्ति को भुगतान करने के लिए किया जाएगा या कानूनी उत्तराधिकारी, सदस्यों और उनके आश्रितों के लिए चिकित्सा और शैक्षिक सुविधाएं, पुस्तकों की खरीद और अधिवक्ताओं के लिए सामान्य सुविधाओं के लिए किया जाएगा।

2. विधि आयोग की रिपोर्टें:- कार्यान्वयन प्रकोष्ठ विधि आयोग की रिपोर्टों पर कार्रवाई करने, उन्हें संसद के समक्ष रखने और संबंधित मंत्रालयों/विभागों को उनकी जांच/कार्यान्वयन के लिए रिपोर्ट भेजने के साथ-साथ त्वरित कार्रवाई के लिए उन पर कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार है। 31.12.2020 तक भारत के विधि आयोग ने 277 रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं। सभी रिपोर्टें संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखी गई हैं और संबंधित मंत्रालयों/विभागों को उनकी जांच/कार्यान्वयन या उनकी ओर से आगे की कार्रवाई के लिए भेज दी गई हैं। कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी विभागीय संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों के अनुसरण में कार्यान्वयन प्रकोष्ठ, 2005 से संसद के दोनों सदनों के समक्ष लंबित विधि आयोग की रिपोर्ट की स्थिति को दर्शाने वाला वार्षिक विवरण लगातार पेश कर रहा है। इस तरह के अंतिम विवरण (14 वां विवरण) को संसद के दोनों सदनों (11.12.2019 को लोकसभा और 12.12.2019 को राज्य सभा में) के पटल पर रखा गया था। आयोग अपनी रिपोर्ट को अपनी वेबसाइट यानी www.lawcommissionofindia.nic.in पर भी उपलब्ध कराता है।